

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ ११४ /2024 दिनांक १०.12.2024

श्रीमती श्वेता शर्मा-III (RJ00877), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलाड़ा (जोधपुर जिला) को दिनांक 02.01.2025 से 10.01.2025 तक 09 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 25.12.2024 से 01.01.2025 एवं 11.01.2025 से 12.01.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती शर्मा की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपाड़ा शहर (जोधपुर जिला) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलाड़ा (जोधपुर जिला) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से
10/12/24
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/46/2015/ 18635

दिनांक : १०.12.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला, जोधपुर को उनके पत्रांक 6438 दिनांक 06.12.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती श्वेता शर्मा-III (RJ00877), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलाड़ा (जोधपुर जिला)।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलाड़ा (जोधपुर जिला)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपाड़ा शहर (जोधपुर जिला)।

10/12/24

सहायक रजिस्ट्रार